न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– दुर्गाशंकर मीना, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 09 / दावा / 2019

1. प्रियाशरण आ0 कजोड लाल जाति छीपा निवासी ग्राम गुढ़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

– वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 आर.टी.एक्ट
वाद बाबत् अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. श्री अवधेश शर्मा अधिवक्ता, वादी।
2. राज्य की और से पैरोकार सरकार।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 18.02.2019

1. वादी की ओर यह वाद पत्र अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दि. 28.01.19 को प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं. 53 / 254 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल राजपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त कृषि भूमि वादी के गैरखातेदारी व कब्जे काश्त में है। उक्त कृषि भूमि वादी के पिता कजोडलाल वल्द हीरालाल को दिनांक 22.12.1975 को आवंटन हुई थी तब से उपरोक्त कृषि भूमि गैरखातेदारी में चली आ रही है। वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। वादी के अलावा कोई वारिस नही है। उक्त कृषि भूमि में वादी की तरफ से कोई राजस्व बकाया नही है। अनेक बार वादी ने प्रतिवादी को उपरोक्त कृषि भूमि को वादी की खातेदारी में दर्ज करने के लिए निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने उक्त कृषि भूमि को वादी के खातेदारी में दर्ज नही किया जिससे वादी को भूमि का विकास कार्य करने, लोन प्राप्त करने तथा कृषि भूमि का समुचित रूप से उपयोग व उपभोग करने में अनेको समस्याओं का सामना करना पड रहा है। 40 वर्षो से वाद वर्णित भूमि गैरखातेदारी में चली आ रही है। बाई ऑपरेशन लॉ के तहत भी वादी वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार हो चुका है क्योकि कानूनन गैर खातेदारी के 10 वर्ष पश्चात सुओमोटो खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करे।
3. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश नही कर बहस में तथ्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया।
4. वादी वकील की ओर से साक्ष्य में वादी प्रियाशरण का शपथ पत्र पेश किया तथा निम्न दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये जिनमें जमाबन्दी सम्वत 2055–58 प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत 2043–46 प्रदर्श 2, जमाबन्दी सम्वत 2059–62 प्रदर्श 3 व जमाबन्दी सम्वत 2072–75 प्रदर्श–4 है।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

Scanned by CamScanner

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद पत्र की प्रार्थना में चाही गई रिलीफ वादीगण को प्रदान किये जाने का निवेदन किया एवं पैरोकार सरकार ने वाद वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुये वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित किया है। न्यायालय के सामने मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि **वादी वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है?** विचारणीय बिन्दू इस प्रकार है कि दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 लगायत 4 से प्रमाणित है कि वादी के पिता के नाम गैरखातेदारी में दर्ज थी। **वादी वकील ने दौराने बहस कानूनी नजीर मोहम्मदीन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आर.आर.डी. 2014 पेज नं. 741 पेश की जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें यह सिंद्धात प्रतिपादित किया गया है कि 1970 के आवंटन नियमों के नियम 18 के तहत सभी शर्ते पूर्ण करने पर आवंटन के 3 वर्ष पश्चात खातेदारी मिल जानी चाहिये। खातेदारी अधिकार प्रदान करने में 40 वर्ष की देरी विधि संवत नही है।** तहसीलदार तालेडा को खातेदारी में दर्ज करने का आवेदन करने पर भी तहसीलदार तालेडा द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई जबकि उपरोक्त कानूनी नजीर के अनुसार इस प्रकार की स्थिति में यह संबधित तहसीलदार का वैधानिक दायित्व था कि वह वादी के पक्ष में उसके आवेदन पत्र का इंतजार नही करते हुये गैरखातेदारी से खातेदारी के अंकन अभिलेख में अंकित करते। **आर.एल.डब्लयू 2008 पार्ट 1 आर.जे. पेज 496 निरंजन लाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य** में माननीय मण्डल की एकल पीठ ने तहसीलदार को निर्णयों की अनुपालना हेतु निर्देश जारी करने का मत प्रतिपादित किया है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है कि आवंटन निरस्त हो गया हो तथा पैरोकार सरकार की और से ऐसा कोई तथ्य पेश नही किया गया कि वादी की और किसी प्रकार का कोई राजस्व बकाया हो अथवा भू– राजस्व नियम 1970 के नियम 18 के अनुसार किन्ही शर्तो का उल्लंघन किया हो। ऐसीस्थिति में वादी वाद वर्णित कृषि भूमि पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

–:: निर्णय ::–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा सं. 53/254 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल राजपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी पर वादी को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.02.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

18/2/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

Scanned by CamScanner